न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 22 / 2016 (राजसमन्द डिक्री)

1. जगदीश पिता भोलीराम जी गुर्जर, निवासी भादला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. पप्पूराम पिता भोलीराम जी गुर्जर, निवासी भादला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. घनश्याम पिता श्री नयन कुमार सिंह राजपूत, निवासी 5, हनुमान घाट, थामला की हवेली, चांदपोल बाहर, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती सायरी पुत्री नैना जी गुर्जर, निवासी गादरोला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती गुलाबी पुत्री नैना जी गुर्जर, निवासी भादला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. भोलू पिता प्रताप जी गुर्जर, निवासी भादला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. नारायण पिता रूपा जी गुर्जर, निवासी भादला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती लेहरी पुत्री रूपा जी गुर्जर, निवासी भादला, हाल सीमाल, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती भंवरी पुत्री रूपा जी गुर्जर, निवासी भादला, हाल सीमाल, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती सूरज बेवा रूपा जी गुर्जर, निवासी भादला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
9. गिरधारीलाल पिता मियाराम जी गुर्जर, निवासी भादला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

9/1. पारस पिता स्वर्गीय गिरधारीलाल जी गुर्जर, निवासी भादला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

9/2. श्रीमती हकमी पत्नी स्वर्गीय गिरधारीलाल जी गुर्जर, निवासी भादला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

9/3. श्रीमती डाली पुत्री स्वर्गीय गिरधारीलाल जी गुर्जर पत्नी पेमा जी, निवासी ज्वालाखेड़ी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

10. मोहनलाल पिता मियाराम जी गुर्जर, निवासी भादला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

11. श्रीमती गंगा बेवा छग्गू जी गुर्जर, निवासी भादला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

12. श्रीमती मथरा बेवा प्रभू जी गुर्जर, निवासी भादला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी
राजसमन्द, दिनांक 31–12–2014
प्रकरण संख्या 74/2013 वाद पत्र

———/———

उपस्थित(वक्त बहस) 1. श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रे. 1 से 3, 5, 7 से 12
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रेस्पो. 13

———::———

निर्णय **दिनांक 30–07–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12–04–2014 को प्रारम्भिक डिक्री जारी

कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से तलब किये जाने हेतु तहरीर जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 31–12–2014 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2014 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 07–08–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का ने गांव वालों से कहा कि गुर्जरों की जमीन कहां है, जिस पर गांव वाले ने मेरे से बातचीत की, तो मैंने अपने वकील से सम्पर्क कर नकले निकलवाई जो उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समय सीमा में प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ प्रकरण में यह अपील दिनांक 31–12–2014 के निर्णय के विरूद्ध 60 दिवस में पेश जानी थी, परन्तु यह अपील करीब 6 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट संख्या 2 की व्यक्तिगत तामिल हुई तथा अपीलान्ट संख्या 1 ने नोटिस लेने से मना किया है। इसी प्रकार प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु जारी नोटिस दिनांक 18–06–2014 की तामिल अपीलान्ट जगदीश को स्वयं को हुई है तथा पप्पूराम के मकान पर नोटिस चस्पा किया गया है। तद्नुसार मूल निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव की जानकारी अपीलान्ट को होना सुस्पष्ट है। प्रकरण में अपीलान्टगण की ओर से दिनांक 23–11–2013 को अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिंह चुण्डावत द्वारा वकालतनामा भी प्रस्तुत किया गया है तथा प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा सहमति का जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया है। अब अपीलान्ट का यह कहना कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी, उचित नहीं है। क्योंकि मूलवाद के सम्मन, सहमति का जवाबदावा, अधिवक्ता का वकालत पत्र एवं विभाजन प्रस्ताव हेतु दी गयी सूचना पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर होने से यह सुस्पष्ट होता है कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31–12–2014 की जानकारी थी। सबसे अलग दिनांक 31–12–2014 को अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलान्टगण के अधिवक्ता की

उपस्थिति अंकित है एवं उनकी बहस सुनने के बाद अधिनस्थ न्यायालय ने वर्णित किया है कि विभाजन पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति हैं, तद्नुसार अंतिम डिक्री पारित की गयी है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह पक्षकारों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में जारी की गयी है तथा उसकी सहमति से जारी की गयी है।

अपने कथन के समर्थन में वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर. आर.डी. 1995 पेज 475, आर.आर.डी. 14–06–2009 पेज 378, आर.आर.डी. 14–07–2016 पेज 409 एवं आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 170 प्रस्तुत की है। उक्त सभी नजीरें गुणावगुण आधार पर हैं, जबकि अपीलान्टगण द्वारा हमारे उपरोक्त किये गये विवेचन अनुसार मूलवाद के सम्मन, सहमति का जवाबदावा, अधिवक्ता का वकालत पत्र एवं विभाजन प्रस्ताव हेतु दी गयी सूचना पर अपीलान्टगण के हस्ताक्षर होने के बावजूद उनके द्वारा अंतिम डिक्री के विरूद्ध यह अपील करीब 6 माह विलम्ब से प्रस्तुत की है, जिसके लिए जो आधार लिये हैं वह न तो पर्याप्त हैं न ही उचित। तद्नुसार अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2014 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–07–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

जगदीश पिता भोलीराम जी गुर्जर, निवासी भादला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द व अन्य

बनाम

घनश्याम पिता नयन कुमार सिंह राजपूत, निवासी 5, हनुमान घाट, थामला की हवेली, चांदपोल बाहर, उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**22 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**आमेट**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**31**.....माह.....**12**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**.....माह.....**07**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री मनीष शर्मा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**07**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।